रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-14122022-241092 CG-DL-E-14122022-241092

#### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5598] No. 5598] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 13, 2022/अग्रहायण 22, 1944 NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 13, 2022/AGRAHAYANA 22, 1944

## सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर, 2022

का.आ. 5834(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2519 (अ) तारीख 31 मई 2022, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उड़ीसा राज्य के नबरंगपुर जिले में "नव प्रस्तावित रायपुर विशाखापट्नम इकनोमिक कोरिडोर के कि.मी. 123.210 से कि.मी.161.218 (O/o तहसीलदार, रैगर जिलानबरंगपुर) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने / चार /छह-लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "18 अगस्त 2022" को "ओडिशा भास्कर" , और "द न्यू इंडियन एक्सप्रेस" में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

8326 GI/2022 (1)

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

## अनुसूची

उड़ीसा राज्य के नबरंगपुर जिले में नव प्रस्तावित रायपुर विशाखापट्नम इकनोमिक कोरिडोर के कि.मी. 123.210 से कि.मी.161.218 (O/o तहसीलदार, रैगर जिला-नबरंगपुर) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सिहत अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य व	ज नाम: उड़ीसा	जिले	का नाम: नबरंगपु	τ			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम		
1	2	3	4	5	6		
	तालुक का नाम: रै	रंगर					
	गांव का नाम: बोरगां						
1	585	निजी	धान /३	0.041	चमरा गोंड पुत्र चुकुटा गोंड जाति गोंड ग्राम निजगांव (५८५ )		
	गांव का नाम: डोगन						
2	93	निजी	धान /३	0.6595	भसुरी गोंड, पिता-हाडा गोंड, जाती- गोंड, गांव-देओगां मुंडरु गोंड, पांडुरु गोंड, मनोहर गोंड, महादेव गोंड पुत्र बासमान गोंड जाति गोंड ग्राम निजगांव (९३)		
	गांव का नाम: जडापारा						
3	159	निजी	डंगरा /२	0.079	सोवा गण्ड पुत्र सानू गण्ड जाति गाण्ड ग्राम निजगांव (१५९)		
4	173	निजी	धान /१	0.2797	सोमा गंड पिता: गोपि गंड, चैतू गंड पिता: दशा गंड जाति : गंड ग्राम: जडापरा (१७३)		

	गांव का नाम: जुनुअनीपारा							
5	53	निजी	धान /१	0.0435	मनसै गण्ड , पिता -रमानाथ गण्ड , जाती -गण्ड , गाओ -जुनुअनीपारा (५३)			
6	62	निजी	धान /२	0.2506	चंदू गण्ड , संपथा गण्ड , रामजी गण्ड , चौनर गण्ड , पिता -बन्दका गण्ड ओ जकना गण्ड , पिता -नदा गण्ड , जाती - गण्ड ,गाओ -जुनुअनीपारा (६२)			
	गांव का नाम: कचरपरा							
7	159	निजी	डंगर /२	0.1485	ओतु गंड, डमरू गंड, पिता-दौलत गंड, जाती-गंड, गांव-कचरापारा (१५९)			
8	447	सरकारी	बड़ा जंगल	0.176	आबाद अजोग्य अनाबादी (४४७ )			
9	534	सरकारी	बड़ जंगल	0.109	आबाद अजोग्य अनाबादी (५३४)			
	गांव का नाम: कर	प्रकोगां						
10	1	सरकारी	पत्रा जंगल	0.0107	रखित (१)			
11	134	सरकारी	नाला	0.0004	आबाद अजोग्य अनाबादी (१३४)			
12	47	सरकारी	बस्ती	0.0224	रखित (४७)			
13	96	सरकारी	पत्रा जंगल	0.0254	रखित (९६)			
	गांव का नाम: कटुआरपारा							
14	15	सरकारी	पत्रा जंगल	0.1953	आबाद जोग्य अनाबादी (१५)			
15	76	निजी	डंगर	0.023	परमबोक (७६)			
	गांव का नाम: कुरुबेला							
16	16	निजी	धान /२	2.012	आबादा जोग्य अनबदी (१६)			

17	2	सरकारी	पत्र जंगल	0.249	आबाद जोग्या अनाबादी (२)		
	गांव का नाम: सरगिगुडा						
18	104	सरकारी	पत्रा जंगल	0 0384	आबादा जोग्य अनबदी (१०४)		
	गांव का नाम: तारगंपुर						
19	183	सरकारी	बस्ती	0.0369	परमबोक (१८३)		
			कुल	4.4003			

[फा. सं. NHAI/11013/LA/PIU-SBP, Odisha/Raipur-Vizag/Notif.(3a)/3D2]

राजेश गुप्ता, निदेशक

# MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 13th December, 2022

**S.O. 5834(E).**—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) and issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), vide S.O. No. 2519 (E) dated 31st May, 2022, the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four/Six-laning, etc.), maintenance, management and operation of Newly Proposed Raipur Vishakhapatnam Economic Corridor on the stretch of land from Km. 123.210 to Km. 161.218 (O/o Tahasildar, Raighar Dist-Nabarangpur) in the district of NABARANGPUR in the state of ODISHA;

And whereas, the substance of the said notification has been published in "Odisha Bhaskar" newspaper and "The New indian Express" newspaper both dated 18th August, 2022, under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

### **SCHEDULE**

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the Newly Proposed Raipur Vishakhapatnam Economic Corridor in the stretch of land from Km 123.210 to Km 161.218 in the Newly Proposed (O/o Tahasildar , Raighar Dist-Nabarangpur) in the district of NABARANGPUR in the state of ODISHA.

States	ODISHA	District: NA	BARANGPUR					
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.			
1	2	3	4	5	6			
	Taluk: Raighar							
	Village: Borgai	1						
1	585	Private	Dhana/3	0.041	Chamra Gond Son of Chukuta Gond Caste Gond Village Nijgaon 585			
	Village: Deogar	n						
2	93	Private	Dhana/3	0.6595	Bhasuri Gond, S/o-Hada Gond, caste- Gond, Village-Deogan Munduru Gond, Panduru Gond, Manohar Gond, Mahadeo Gond Son of Basman Gond Caste Gond Village Nijgaon 93			
	Village: Jarapa	ıra						
3	159	Private	Dangara /2	0.079	Sova Gand Son of Sanu Gand Caste Gand Village Nijgaon 159			
4	173	Private	Dhana/1	0.2797	Soma Gand S/o: Gopi Gand, Chaitu Gand S/o: Dasha Gand Caste: Gand Village: Jadapara 173			
	Village: Junuar	nipara		·				
5	53	Private	Dhana/1	0.0435	Manasai Ganda, S/o-Ramanath Ganda, Caste-Ganda, Village-Junuanipara 53			
6	62	Private	Dhana/2	0.2506	Chandu Ganda, Sanpatha Ganda, Ramji Ganda, Chauner Ganda, S/o-Bandaka Ganda O Jakana Ganda, S/o-Nadda Ganda, Caste-Ganda, Village- Junuanipara 62			
	Village: Kacha	rpara						
7	159	Private	Dangara /2	0.1485	Aitu Ganda, Damura Ganda, S/o- Doulata Ganda, Caste-Ganda, Village- Kacharpara 159			
8	447	Government	Bada jungle	0.176	Aabada Ajogya Anabadi 447			
9	534	Government	Bada jungle	0.109	Aabada Ajogya Anabadi 534			
	Village: Kasko	nga						
10	1	Government	Patra jungle	0.0107	Rakhita 1			

11	134	Government	Nala	0.0004	Aabada Ajogya Anabadi 134			
12	47	Government	Basti	0.0224	Rakhita 47			
13	96	Government	Patra jungle	0.0254	Rakhita 96			
	Village: Katuar	Village: Katuarpara						
14	15	Government	Patra jungle	0.1953	Aabada Jogya Anabadi 15			
15	76	Private	Dangara	0.023	Paramboka 76			
	Village: Kurubela							
16	16	Private	Dhana /3	2.012	Aabada Jogya Anabadi 16			
17	2	Government	Patra jungle	0.249	Aabada Jogya Anabadi 2			
	Village: Sargiguda							
18	104	Government	Patra jungle	0.0384	Aabada Jogya Anabadi 104			
	Village: Tarangpur							
19	183	Government	Basti	0.0369	Paramboka 183			
			TOTAL	4.4003				

[F. No. NHAI/11013/LA/PIU-SBP, Odisha/Raipur-Vizag/Notif.(3a)/3D2] RAJESH GUPTA, Director